

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1728

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

कंपनियों का पंजीकरण

1728. डा. सी. गोपालकृष्णन:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अनेक कारपोरेट कंपनियों ने अपना प्रचालन पता सरकारी इमारतों का दिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनियों के लिए संचालन पता देने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ): उपरोक्त (क) और (ख) भाग के उत्तर को देखते हुए यह लागू नहीं होता है।

\*\*\*\*\*